रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-एम.एच.-अ.-23102023-249632
CG-MH-E-23102023-249632

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4
PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 722] नई दिल्ली, शुक्रवार, अक्तूबर 20, 2023/आश्विन 28, 1945
No. 722] NEW DELHI, FRIDAY, OCTOBER 20, 2023/ASVINA 28, 1945

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड

अधिसूचना

मुम्बई, 20 अक्तूबर, 2023

भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023

सं. सेबी/एलएडी-एनआरओ/जीएन/2023/157.—बोर्ड, भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (1992 का 15) की धारा 30 द्वारा प्रदान की गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए, एतद्वारा भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] विनियम, 2009 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित विनियम बनाता है, अर्थात्:-

1. इन विनियमों को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] (दूसरा संशोधन) विनियम, 2023 कहा जा सकेगा ।

2. ये विनियम राजपत्र में इनके प्रकाशित होने की तारीख से लागू होंगे ।

3. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] विनियम, 2009 में, –

I. विनियम 4 में, उप-विनियम (1) में,-

(क) मौजूदा खंड “(ञ)” अब खंड “(ड)” बन जाएगा;

(ख) मौजूदा खंड (झ) के बाद, निम्नलिखित खंड जोड़े जाएंगे, अर्थात्,-

"(ञ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [सूचीबद्धता (लिस्टिंग) बाध्यताएँ और प्रकटीकरण अपेक्षाएँ] विनियम, 2015 के विनियम 61क के उप-विनियम (3) के परंतुक के अनुसार अंतिरत (ट्रांसफर) की गई रकम;

(ट) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (रियल इस्टेट निवेश न्यास) विनियम, 2014 के विनियम 18 के उप-विनियम (16) के खंड (च) के अनुसार अंतरित की गई रकम;

(ठ) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (अवसंरचना निवेश न्यास) विनियम, 2014 के विनियम 18 के उप-विनियम (6) के खंड (ङ) के अनुसार अंतरित की गई रकम;"

II. विनियम 5 में, उप-विनियम (3) के स्थान पर निम्नलिखित उप-विनियम आ जाएगा, अर्थात्,-

"(3) उप-विनियम (1) तथा उप-विनियम (2) के प्रावधानों (उपबंधों) के होते हुए भी, -

i. इन विनियमों के विनियम 4 के उप-विनियम (1) के खंड (ज) के अनुसार लौटाई गई (प्रत्यर्पित की गई) और निधि (फंड) में जमा की गई रकम और उस रकम पर मिले ब्याज की रकम का इस्तेमाल केवल उन मामलों में पैसा लौटने के उद्देश्य से किया जाएगा, जहाँ बोर्ड उन निवेशकों को पैसा लौटाना ठीक समझे जो पात्र हों तथा जिनकी पहचान की जा सकती हो और जिन्हें प्रतिभूतियों (सिक्यूरिटीज़) से संबंधित कानूनी प्रावधानों के उल्लंघन की वजह से नुकसान हुआ हो, या फिर उन मुखबिरों को इनाम की रकम अदा करने के उद्देश्य से किया जाएगा जिन्होंने बोर्ड को उस रकम की वसूली करने के संबंध में मूल सूचना प्रदान की हो जिसे लौटाने (प्रत्यर्पित करने) हेतु निदेश जारी किए गए हों;

ii. विनियम 4 के उप-विनियम (1) के खंड (ञ), (ट) एवं (ठ) के अनुसार निधि (फंड) में जमा की गई रकम का इस्तेमाल, उपरोक्त रकम अंतरित (ट्रांसफर) करने वाली एंटिटियों को लौटाने के लिए तब किया जाएगा, जब वे उन निवेशकों को पैसा लौटा दें जो पात्र हों तथा जिनकी पहचान की जा सकती हो और जब वे निधि (फंड) से पैसा लौटाए जाने हेतु उसी प्रकार दावा प्रस्तुत करें, जैसा बोर्ड द्वारा बताया जाए:

परंतु यह कि,-

i. विनियम 4 के उप-विनियम (1) के खंड (ज) के अनुसार निधि (फंड) में निवेशकों (जो पात्र हों और जिनकी पहचान की जा सकती हो) को पैसा लौटाए जाने हेतु जमा कराई गई रकम; और

ii. विनियम 4 के उप-विनियम (1) के खंड (ञ), (ट) एवं (ठ) के अनुसार निधि (फंड) में उन एंटिटियों को पैसा लौटाने हेतु जमा कराई गई रकम, जिन्होंने वह रकम निधि (फंड) में जमा कराई हो,

निर्धारित किए जाने के बाद, निधि (फंड) में पड़ी शेष रकम का इस्तेमाल निधि (फंड) के उन उद्देश्यों से किया जा सकेगा, जिनका जिक्र उप-विनियम (1) तथा उप-विनियम (2) में किया गया है:

परंतु यह और कि यदि किसी मामले विशेष में बोर्ड द्वारा पैसा लौटाने (प्रत्यर्पित करने) हेतु दावे आमंत्रित करने की तारीख से सात वर्षों की अवधि बीत चुकी हो, तो ऐसे में लौटाई गई (प्रत्यर्पित की गई) रकम में से पैसा लौटाने हेतु किए गए किसी भी दावे पर विचार नहीं किया जाएगा ।"

बबीता रायुडू, कार्यपालक निदेशक

[विज्ञापन-III/4/असा./504/2023-24]

पाद टिप्पण :

1. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] विनियम, 2009, अधिसूचना सं. एल.ए.डी-एन.आर.ओ./जी.एन./2009-10/05/163525, 19 मई, 2009 को भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे।

2. भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] विनियम, 2009, तत्पश्चात्:

   क) 9 जनवरी, 2014 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] (संशोधन) विनियम, 2014, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2013-14/38/49, द्वारा,

   ख) 6 मार्च, 2017 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (फीस का भुगतान और भुगतान का माध्यम) (संशोधन) विनियम, 2017, अधिसूचना सं. सेबी/एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2016-17/037, द्वारा,

   ग) 28 फरवरी, 2023 को भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड [विनिधानकर्ता (निवेशक) संरक्षण और शिक्षण निधि] (संशोधन) विनियम, 2023, अधिसूचना सं. एल.ए.डी.-एन.आर.ओ./जी.एन./2023/126, द्वारा,

संशोधित हुए थे।

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA

NOTIFICATION

Mumbai, the 20th October, 2023

SECURITIES AND EXCHANGE BOARD OF INDIA (INVESTOR PROTECTION AND EDUCATION FUND) (SECOND AMENDMENT) REGULATIONS, 2023

No. SEBI/LAD-NRO/GN/2023/157.—In exercise of the powers conferred by section 30 of the Securities and Exchange Board of India Act, 1992 (15 of 1992), the Board hereby makes the following regulations to further amend the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009, namely: -

1. These regulations may be called the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) (Second Amendment) Regulations, 2023.

2. They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

3. In the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009 –

I. in regulation 4, in sub-regulation (1),-

(a) the existing clause "(j)" shall be renumbered as clause "(m)";

(b) after the existing clause (i), the following clauses shall be inserted, namely, -

"(j) monies transferred in accordance with the proviso to sub-regulation (3) of regulation 61A of the Securities and Exchange Board of India (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015;

(k) monies transferred in accordance with clause (f) of sub-regulation (16) of regulation 18 of the Securities and Exchange Board of India (Real Estate Investment Trusts) Regulations, 2014;

(l) monies transferred in accordance with clause (e) of sub-regulation (6) of regulation 18 of the Securities and Exchange Board of India (Infrastructure Investment Trusts) Regulations, 2014;"

II. in regulation 5, sub-regulation (3) shall be substituted with the following, namely, -

"(3) Notwithstanding the provisions of sub-regulations (1) and (2),-

i. the amounts disgorged and credited to the Fund in accordance with clause (h) of sub-regulation (1) of regulation 4 of these regulations and the interest accrued thereon shall, in cases where the Board deems fit to make restitution to eligible and identifiable investors who have suffered losses resulting from violation of securities laws or for rewarding informants who provide original information to the Board to recover amounts directed to be disgorged, be utilised only for the purposes of such restitution or reward;

ii. the amounts credited to the Fund in accordance with clauses (j), (k) and (l) of sub-regulation (1) of regulation 4, shall be utilised for refund to the entities transferring the said amounts, pursuant to their making payment to eligible and identifiable investors and making a claim to the Fund in the manner specified by the Board:

Provided that monies remaining in the Fund after earmarking, -

i. the amount for the process of restitution to eligible and identifiable investors credited to the Fund in accordance with clause (h) of sub-regulation (1) of regulation 4; and

ii. the amount for refund to the entities transferring the said amounts credited to the Fund in accordance with clauses (j), (k) and (l) of sub-regulation (1) of regulation 4;

may be utilised for the purposes of the Fund as specified in sub-regulations (1) and (2):

Provided further that no claim for restitution from the disgorged amounts in a specific case shall be admissible after a period of seven years from the date of invitation of claims for disgorgement in the said case by the Board."

BABITHA RAYUDU, Executive Director

[ADVT.-III/4/Exty./504/2023-24]

Footnotes:

1. The Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009 were published in the Gazette of India on 19th May 2009 vide notification no. LAD-NRO/GN/2009-10/05/163525.
2. The Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) Regulations, 2009, were subsequently amended on:
   a) January 9, 2014 by the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) (Amendment) Regulations, 2014 vide notification No. LAD/NRO/GN/2013-14/38/49.
   b) March 6, 2017 by the Securities and Exchange Board of India (Payment of Fees and Mode of Payment) (Amendment) Regulations, 2017 vide notification No. SEBI/LAD/NRO/GN/2016-17/037.
   c) February 28, 2023 by the Securities and Exchange Board of India (Investor Protection and Education Fund) (Amendment) Regulations, 2023 vide notification No. SEBI/LAD-NRO/ GN/ 2023/126.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. SARVESH KUMAR SRIVASTAVA